एक अच्छी आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना से राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावशाली संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियम एवं निर्देशों को अनुपालन के साथ ऐसे अनुपालन की स्थिति के रिपोर्टिंग की समयपरता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं में एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावशाली एवं क्रियात्मक हो तो चुस्त योजना बनाने एवं निर्णय लेने में राज्य सरकार को उनके प्रबंधात्मक उत्तरदायित्व के निर्वहन में सहायता मिलती है। यह अध्याय राज्य सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निवेशों की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

## 3.1 बकाया विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 322(2) में प्रावधान है कि प्रत्येक सभी सार आकस्मिक व्यय (ए.सी.) विपत्रों पर निकासी की गई अग्रिम राशियों का समायोजन प्रत्येक आहरण पदाधिकारी विस्तृत आकस्मिक व्यय (डी.सी.) विपत्रों को प्रमाणित कर पहले चालू माह को सभी प्रतिहस्ताक्षर पदाधिकारी के हस्ताक्षर के पश्चात कोषागार से अग्रिम राशियों की निकासी की तिथि से छठे महीने की 25वीं तारीख तक ही महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को विस्तृत आकस्मिक व्यय विपत्र (डी.सी.) समर्पित कर लेना चाहिए।

जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है, 83542 ए.सी. विपत्र पर ₹ 25331.05 करोड़ की निकासी में से केवल ₹ 2755.68 करोड़ के लिए ही 9425 डी.सी. विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार को समर्पित किये गये। 14 सितम्बर 2011 तक, वर्ष 2002-03 से 2010-11 के दौरान 74117 ए. सी. विपत्र पर निकासी किये ₹ 22575.37 करोड़ के डी. सी. विपत्र बार-बार अनुरोध के बावजूद समर्पित नहीं किये गये।

तालिका 3.1: बकाया विस्तृत आकस्मिक विपत्र

(₹करोड़ में)

| वर्ष | आकस्मिक सार विपत्र | | विस्तृत आकस्मिक विपत्र | | सार आकस्मिक विपत्रों का विस्तृत आकस्मिक विपत्रों से प्रतिशतता | बकाया वस्तृत आकस्मिक विपत्र | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | संख्या | राशि | संख्या | राशि | | संख्या | राशि |
| 2002-03 | 6988 | 332.22 | 677 | 86.63 | *26.08* | 6311 | 245.59 |
| 2003-04 | 12570 | 548.41 | 845 | 81.95 | *14.94* | 11725 | 466.46 |
| 2004-05 | 10701 | 957.72 | 1197 | 264.99 | *27.67* | 9504 | 692.73 |
| 2005-06 | 6064 | 2376.31 | 1289 | 430.17 | *18.10* | 4775 | 1946.14 |
| 2006-07 | 6980 | 3849.31 | 1546 | 723.45 | *18.79* | 5434 | 3125.86 |
| 2007-08 | 7081 | 3860.47 | 1909 | 862.82 | *22.35* | 5172 | 2997.65 |
| 2008-09 | 8039 | 2348.04 | 1195 | 184.28 | *7.85* | 6844 | 2163.76 |
| 2009-10 | 12706 | 4043.20 | 658 | 105.59 | *2.61* | 12048 | 3937.61 |
| 2010-11 | 12413 | 7015.37 | 109 | 15.80 | *0.23* | 12304 | 6999.57 |
| **कुल** | **83542** | **25331.05** | **9425** | **2755.68** | | **74117** | **22575.37** |

**(स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार से प्राप्त विवरणी)**

बिहार कोषागार संहिता ( बी. टी. सी.) के नियम 300 के नीचे वर्णित प्रावधान के अनुसार मात्र इस आधार पर कि कोषागार से धन नहीं निकाला जाएगा कि किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभार की मंजूरी दे दी गई है। और न इसकी अनुमति है कि आवंटन के व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से धन निकाल लिया जाए और फिर उसे जमा कर दिया जाए। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत धन का अग्रिम निकासी होता है तो, इस तरह निकाली गई राशि का अव्ययित, अतिशेष आगामी विपत्र में कम निकासी करके या शीघ्रातिशीघ्र संभव अवसर पर चालान के माध्यम से, और हर हाल में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले, जिसमें उक्त राशि निकाली गई, कोषागार को लौटा देना चाहिए।

लेखापरीक्षा जांच के क्रम में पाया गया कि 2010-11 के दौरान सार आकस्मिक व्यय विपत्र (ए.सी.) पर आहरित ₹ 7015.37 करोड़ में से ₹ 2749.82 करोड़ (39 प्रतिशत) मार्च माह में आहरित किया गया। इनमें ₹ 937.75 करोड़ की राशि की निकासी वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में 28 मार्च 2011 से 31मार्च 2011 के दौरान की गयी । वित्तीय वर्ष के अंतिम चार दिनों में बहुत बड़ी राशि की निकासी सिर्फ कमजोर वित्तीय प्रबंधन को ही नहीं, बल्कि राशि के दुर्विनियोजन के जोखिम को भी दर्शाती है।

## 3.2 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलंब

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 342 के साथ संलग्न राज्य सरकार के निर्णय (2 अ) को पढ़ा जाय, जिसमें यह प्रावधान है कि सहायता अनुदान के संबंध में जो तिमाही या छमाही किस्तों में स्वीकृत किये जाते है, सहायता अनुदान की प्रथम दो तिमाही किस्त या प्रथम छमाही किस्त अंतिम अनुदान किस्त के संबंध में बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये स्वीकृत की जा सकती है। फिर भी अनुदान की शेष रकम को स्वीकृत करने के लिए पूर्व के अनुदानों के लेखापरीक्षित लेखाओं के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्रशासनिक विभागों के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा विशेष उद्देश्यों के लिए प्रदत्त अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदान ग्राहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए और सत्यापन के पश्चात उन्हें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए।

तथापि, यह देखा गया कि प्रदत्त कुल ₹ 8926.41 करोड़ के अनुदान से संबंधी 21358 उपयोगिता प्रमाण पत्र में से प्रदत्त कुल राशि ₹ 8465.97 करोड़ 21291 उपयोगिता प्रमाण पत्र (99.96 प्रतिशत) बकाया की स्थिति में प्रस्तुत करना लंबित था। उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति में वर्षवार विलंब **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.2 : वर्ष-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

| क्रम संख्या | वर्षों की संख्या में विलंब का दायरा | कुल अनुदान का भुगतान | | बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | राशि | संख्या | राशि |
| 1 | 1-3 | 254 | 4571.29 | 198 | 4148.37 |
| 2 | 3-5 | 294 | 2620.33 | 284 | 2584.61 |
| 3 | 5-7 | 133 | 327.94 | 132 | 326.14 |
| 4 | 7-9 | 487 | 295.02 | 487 | 295.02 |
| 5 | 9 एवं ज्यादा | 20190 | 1111.83 | 20190 | 1111.83 |
| कुल | | **21358** | **8926.41** | **21291** | **8465.97** |

**(स्त्रोत : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से प्राप्त विवरणी)**

जैसा कि **तालिका 3.2** में दर्शाया गया है, 21291 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से 20190 उपयोगिता प्रमाण पत्र (95 प्रतिशत) नौ वर्षों से अधिक समय से लंबित था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के राज्य का वित्त के प्रतिवेदन में बार–बार आपत्ति उठाये जाने के बावजूद समय पर बाकी उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुत करने में हुए विलंब में कोई सुधार नहीं किया गया । यह प्रशासनिक विभागों में आंतरिक नियंत्रण का अभाव ही नहीं, बल्कि पूर्व अनुदानों की समुचित उपयोगिता की पुष्टि किये बिना सरकार द्वारा नये अनुदान संवितरण जारी रखने की प्रवृति को भी दर्शाता था ।

## 3.3 स्वायत्त निकायों के लेखे/लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के समर्पण में विलंब

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुच्छेद 20 (1) में वर्णित प्रावधान के अनुसार किसी भी निकाय या प्राधिकरण के लेखों की लेखापरीक्षा यदि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को किसी कानून के द्वारा सौंपी जाती है या यदि किसी विधान सभा वाले राज्य के राज्यपाल द्वारा ऐसे करने का अनुरोध किया जाता है तो लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी उनके और संबंधित सरकार के बीच सहमति प्राप्त शर्त्तों–प्रतिबंधों पर ली जा सकती है तथा ऐसे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों तथा निकायों एवं प्राधिकारणों के बही एवं लेखाओं तक पहुँच का अधिकार होगा। राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के अनुसार गृह निर्माण, खादी और ग्रामोद्योग, कानूनी सेवाएँ तथा शिक्षा, जैसे चार स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई ।

बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, बिहार राज्य गृह निर्माण बोर्ड तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर के वर्ष कमशः 2002–03,2003–04 और 2010–11 तक के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी। बारंबार अनुसरण के बावजूद, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य गृह–निर्माण बोर्ड, के आगामी वर्षों की लेखा परीक्षा आज तक लंबित थी । बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार (बीएसएलएसए) के लेखे की लेखापरीक्षा स्थायी रूप से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंप दी गई थी । इन निकायों द्वारा लेखाओं का समर्पण, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधानमंडल में उनकी प्रस्तुती ***परिशिष्ट 3.1*** में दर्शायी गई है ।

## 3.4 दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 31 और 32 में प्रावधान है कि सरकारी धन की कोई हानि या उसका संदेह होने पर या सरकारी धन के गबन होने पर संबंधित पदाधिकारी को अपने से उच्च पदाधिकारी को और वित्त विभाग को तथा साथ ही प्रधान महालेखाकार को तुरन्त इसकी सूचना देनी चाहिए, चाहे ऐसी हानि की क्षतिपूर्ति जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा क्यों न कर दी गई हो । जाँचोपरान्त ऐसी हानि की प्रकृति, सीमा तथा कारणों एवं इसकी वसूली को प्रभावित करने वाली संभावनाओं से संबंधित पूर्ण रिपोर्ट समर्पित कर देनी चाहिए इन प्रतिवेदनों को प्राप्त करने वाले पदाधिकारियों को आवश्यक अथवा उचित विभागीय जाँच करने के पश्चात दुर्विनियोजन, हानि अथवा गबन के कारणों अथवा परिस्थितियों का विस्तृत प्रतिवेदन जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की चर्चा करते हुए भेजना चाहिए ।

तथापि, ऐसा कोई भी प्रतिवेदन कार्यालयाध्यक्षों द्वारा प्रधान महालेखाकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। कुल मिलाकर मार्च 2011 तक ₹ 409.15 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी के 1034 मामले संबंधित विभागों के पास लंबित थे। समयवार/वर्गवार लंबित मामले को ***परिशिष्ट 3.2*** तथा ***3.3*** में प्रस्तुत किया गया है। साथ ही **तालिका 3.3** एवं **3.4** में उनका संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

वित्तीय वर्ष 2010-11 तक ₹ 409.15 करोड़ के गबन, दुर्विनियोजन, हानि एवं चोरी से संबंधित मामले में से 13 मामलों के ₹ 1.18 करोड़ चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित थे । उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाले हुए हानि से संबंधित मामले को सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया था ।

तालिका 3.3: लंबित मामलों के समय-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

| समय अवधि | मामले की संख्या | सम्मिलित राशि |
|---|---|---|
| 5 तक | 948 | 275.06 |
| 5 - 10 | 86 | 134.09 |
| कुल | **1034** | **409.15** |

**(स्रोत : लेखा परीक्षा निष्कर्ष)**

गबन, दुर्विनियोजन, हानि और चोरी के प्रत्येक वर्ग में लंबित मामले की संख्या ***परिशिष्ट 3.3*** में दर्शायी गई है और **तालिका 3.4** में संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।

तालिका 3.4: लंबित मामलों की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

| मामले की प्रकृति/विशेषताएँ | मामले की संख्या | सम्मिलित राशि |
|---|---|---|
| हानि | 584 | **112.90** |
| दुर्विनियोजन | 256 | 248.01 |
| चोरी | 01 | 0.02 |
| गबन | 193 | 48.22 |
| वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाले हुए हानि के मामले | - | - |
| कुल लंबित मामले | **1034** | **409.15** |

(स्रोत : लेखा परीक्षा निष्कर्ष)

1034 मामलों में 584 मामले (56 प्रतिशत) हानि से संबंधित है, जो इंगित करता है कि संबंधित विभागों द्वारा विहित नियम के अनुसार सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम नहीं उठाये गये। पुनः यह भी पाया गया कि चोरी/दुर्विनियोजन के कारण हानि के 1034 मामलों में 948 मामले पाँच वर्ष पुराने तथा 86 मामले पाँच से दस वर्ष से अधिक पुराने थे, इन मामलों के निष्पादन में विभागों के सुस्त रवैये के कारण न केवल राज्य राजकोष को घाटा हुआ, बल्कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने में भी असफलता मिली ।

## 3.5 बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष – 800 की कार्य प्रक्रिया

लघु शीर्ष '800- अन्य प्राप्तियाँ ' तथा '800- अन्य व्यय' के अंतर्गत प्राप्तियों अथवा व्यय को दर्ज करने को प्राप्ति तथा व्यय का अपारदर्शी वर्गीकरण माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष राशि से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को प्रकट नहीं करते हैं। शीर्ष उपलब्ध कार्यक्रम लघु शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत व्यय को समायोजित करता है।

वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व भाग में 13 मुख्य शीर्ष के विरुद्ध लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत कुल व्यय ₹ 3293.23 करोड़ हुआ जो कुल व्यय का 78 प्रतिशत ₹ 4223.19 करोड़ था, जिसमें 13 मुख्य शीर्ष शामिल थे । वित्तीय लेखा में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत संबद्ध लघु शीर्ष में स्पष्टतया वर्णन करने के स्थान पर शहरी विकास परियोजनाएँ, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा मुख्य सिंचाई, पर कुल व्यय को बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष-800 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया, जैसा कि ***परिशिष्ट 3.4*** में दर्शाया गया है।

उसी प्रकार, कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 310.16 करोड़ में से ₹ 233.61 करोड़ जो सम्पूर्ण प्राप्ति का 75 प्रतिशत था, को 16 मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बहुप्रयोजनित लघु

शीर्ष–800– 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंन्तर्गत वर्गीकृत किये गये । उद्योग, भूमि एवं राजस्व और सड़क एवं सेतु इत्यादि के अंतर्गत करेत्तर राजस्व की बड़ी राशि इस लघु शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था, जैसा कि *परिशिष्ट 3.5* में दर्शाया गया है।

बहुप्रयोजित लघु शीर्ष 800– 'अन्य व्यय/प्राप्तियाँ' के अन्तर्गत के कारण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हुई ।

## 3.6 प्राप्तियों एवं व्ययों का मिलान नहीं किया जाना

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 475(viii) के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), के पुस्तकों में दिये आंकडों के साथ विभागाध्यक्ष द्वारा रखे गये लेखे के आंकड़ों के समाधान के लिये विभागाध्यक्ष और महालेखाकार संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे । मिलान का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभागीय लेखा इतने शुद्ध हो कि व्यय पर कारगर विभागीय नियंत्रण रखा जा सकें ।

तथापि, लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागीय लेखों के समाधान नहीं करने के मुद्दे को उठाये जाने के बावजूद भी वर्ष 2010–11 के दौरान नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा ऐसे चूक होते रहे । वर्ष 2010–11 के दौरान कुल व्यय ₹ 47411.86 करोड़ रुपये के विरुद्ध (ऋण एवं अग्रिम को छोड़कर ) कुल व्यय का केवल ₹ 3920.39 करोड़ (8.26 प्रतिशत) का समाधान पूर्ण किया गया था। वर्ष 2010–11 के दौरान नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा कुल प्राप्ति ₹ 44532.32 करोड़ के विरूद्ध मात्र ₹ 259.82 करोड़ (0.58 प्रतिशत) का समाधान किया गया था।

## 3.7 व्यक्तिगत निक्षेप लेखा

बिहार कोषागार संहिता खण्ड–1 के नियम 541 (ख) के अनुसार शासकीय अथवा किसी अन्य हैसियत से कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गए धन तथा अर्द्ध–शासकीय संस्थानों के निधियों को सरकार की उक्त राजकोष में बैंक खाता खोलने हेतु सरकार की विशिष्ट अनुमति के बिना राजकोष में व्यक्तिगत जमा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती, जब तक महालेखाकार से परामर्श न किया जाए और सरकार इस बात से आश्वस्त न हो जाए कि इस तरह के व्यक्तिगत जमा लेखे में धारित की जाने वाली धनराशियों के आरंभिक लेखे उचित तरह से संधारित किए जायेंगे और लेखापरीक्षा के अध्याधीन होंगे।

इसके अतिरिक्त, बिहार कोषागार संहिता के नियम 552 के अनुसार एक सम्पूर्ण लेखा–वर्ष तक अदावी पाँच रूपये से कम की जमा राशि वर्ष की समाप्ति से पहले अंशतः पुर्नभुगतान किये जाए जमा पाँच रूपये से कम शेष और तीन संपूर्ण लेखा वर्षो से अधिक तक अदावी सभी शेष हर वर्ष मार्च के अंत में सरकार को जमा कर दिया जाना है। कोषागार पदाधिकारी 31वीं मार्च के तुरंत बाद इस प्रकार व्यपगत जमाराशियों और अतिशेषों की सूची तैयार करके महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को समर्पित करेगा।

यद्यपि, सभी कोषागारों एवं उपकोषागारों तथा वित्त विभाग को ऐसे परिचालित/ अपरिचालित खातों से संबंधित आंकड़े को उपलब्ध कराने हेतु महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा बार–बार अनुरोध के बावजूद 21 कोषागारों द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके यहाँ कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता से संबंधित आंकड़े अस्तित्व में नहीं है। तथापि, विभागीय प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के कोषागारों में

व्यक्तिगत जमा खातों के अंतर्गत ₹ 21.88 करोड़ जमा रखा गया। व्यक्तिगत जमा लेखा में रखे निधि का कोषागार–वार विवरण **तालिका 3.5** में दर्शाया गया है ।

तालिका 3.5: व्यक्तिगत निक्षेप खाते में निधियों को रखे जाना

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | कोषागार का नाम | प्रारंभिक शेष | जमा | नामे | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मुज़्जफरपुर | 6.17 | 0.00 | - | 6.17 |
| 2 | पटना | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 |
| 3 | सारण | - | - | 0.11 | -0.11 |
| 4 | खगड़ियाँ | - | 0.29 | - | 0.29 |
| 5 | पटना निर्माण भवन | 0.61 | - | - | 0.61 |
| 6 | शिवहर | 0.16 | - | - | 0.16 |
| 7 | बेगूसराय | 8.08 | - | - | 8.08 |
| 8 | बांका | 0.01 | - | - | 0.01 |
| 9 | रोहतास | 6.59 | - | - | 6.59 |
| 10 | भभुआ | 0.02 | - | - | 0.02 |
| 11 | बगहा | 0.05 | - | - | 0.05 |
| | कुल | **21.71** | **0.29** | **0.12** | **21.88** |

**(स्त्रोत : वित्त लेखे, बिहार सरकार)**

वर्ष 2010–11 के दौरान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार द्वारा कोषागारों के जाँच में प्रकट हुआ कि दो कोषागार में विभिन्न अपरिचालित व्यक्तिगत जमा लेखा के अंतर्गत कुल ₹31.79 करोड़ वर्षो से अनियमित रूप से रोक कर रखा गया तथा लेखा का अंतिम समापन के लिए प्रयास नहीं किया गया था। जैसा कि **तालिका 3.6** में ऐसे व्यक्तिगत जमा लेखे (11 मामलें) का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: व्यक्तिगत निक्षेप खाते में शेष बची राशि

(₹ करोड़ में)

| क्रम संख्या | कोषागार/उप–कोषागार का नाम | प्रशासनिक/आहरण एवं संवितरण पदाधिकारी का नाम | 31 मार्च 2011 को शेष |
|---|---|---|---|
| 1 | जिला कोषागार, नवादा | नगर पंचायत, वारसलीगंज | 0.32 |
| | | जिला परिषद | 3.10 |
| | | नगर परिषद | 2.48 |
| | | नगर पंचायत, हिलसा | 0.32 |
| 2 | जिला कोषागार, गया | नगर पंचायत,शेरघाटी | 0.64 |
| | | नगर पंचायत,टेकारी | 0.88 |
| | | नगर पंचायत,बोध गया | 1.10 |
| | | जिला परिषद, गया | 0.10 |
| | | जल बोर्ड, गया | 0.03 |
| | | नगर निगम, गया | 22.57 |
| | | समवाद सदन, गया | 0.25 |
| | कुल | **11** | **31.79** |

सरकार को इस प्रकार के व्यक्तिगत जमा लेखा की अंतिम समाप्ति के लिए समीक्षा करनी चाहिए। व्यक्तिगत जमा लेखे की समाप्ति नहीं करने पर निधियों के दुर्विनियोजन का जोखिम बना रहता है।

## 3.8 निष्कर्ष

वर्ष के दौरान सार आकस्मिक विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के समर्पण में कोई प्रगति नहीं हुई और उपयोगिता प्रमाण–पत्रों के समर्पण में भी अच्छा–खासा विलंब हुआ। लेखा परीक्षा द्वारा बार–बार अनुसरण के पश्चात, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य आवास बोर्ड की सुर्पुदगी प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, को नहीं दी गयी विधानमंडल में पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को रखने में विलंब हुआ, इसके अतिरिक्त सरकारी धन की चोरी, दुर्विनियोजन, सरकारी

सामग्री की हानि, गबन इत्यादि के कई मामले थे, जिनकी विभागीय कार्रवाई लम्बी अवधि से लंबित है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राप्ति एवं व्यय की अच्छी-खासी राशि बहुप्रयोजनित लघु शीर्ष-800 में वर्गीकृत की गयी ।

## 3.9 अनुशंसाएँ

सरकार द्वारा:

- विभागों में सुदृढ़ निगरानी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए, जिससे कि सार आकास्मिक बिलों के विरूद्ध लिये गये अग्रिमों का समायोजन निश्चित समयावधि में किया जा सकें, जैसा कि नियमों में निहित हैं।
- सुनिश्चित किया जाना चाहिए, कि अनुदान प्राप्तकर्त्ता संस्थान को विशेष प्रयोजन के लिए दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रेषित करें।
- बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड और बिहार राज्य आवास बोर्ड की लेखा परीक्षा के लिए समय पर सुपुर्दगी सुनिश्चित हो।
- सभी धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन आदि के समस्त प्रकरण की जाँच में तेजी लायी जानी चाहिए, जिससे दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जा सके। इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली भी सुदृढ़ की जानी चाहिए, जिससे कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकें।
- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ', के अंतर्गत सम्मिलित करने के बजाय, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय किये गये राशि को लेखा में स्पष्टतया वर्गीकृत कर वित्तीय प्रतिवेदन में सत्यता सुनिश्चित करनी चाहिए ।

**पटना**
**दिनांक :**

**(आर. बी. सिन्हा)**
**प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना**

**प्रतिहस्ताक्षरित**

**नई दिल्ली**
**दिनांक :**

**(विनोद राय)**
**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक**